

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जेज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/06/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। मिसल वास्ते बहस दिनांक 10/07/24 को पेश हो।	
10/07/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। मिसल वास्ते बहस दिनांक 31/07/24 को पेश हो।	
31/7/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। मिसल वास्ते आदेश 7/8/24 को पेश हो।	
7/8/24	पत्रबली आज आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रबली का इवलोकन किया गया। जिससे प्कर है कि अपाथीगिज श्री बहरीवाल स्त्री श्रीमती सुगनबाई द्वारा प्रार्थी विनीत संख्या ए.पू. स्मान फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी सम्पत्ति खसरा सं. 769 खसरा 04 बिस्वा वक्रेगाम द्वरपुरा बून्दी में से 111.11 वर्गज भूमि रहन खबर दिनांक 29/7/2020 को 5,00,000 का ऋण लिया था, किन्तु अपाथीगिज नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें। इस ऋण धारा-14 विनीत आस्तिमों का प्रतिभूतिकर्ता और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कमिशनियर 2002 के तहत यह अपाथीगिज	

# फर्द अहकाम

(नियम 26)



APP-A  
crim-I

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....नं.....सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पेश किया गया है/प्रकरण में रहनशुदा सम्पत्ति का पट्टा संलग्न नहीं है/विक्रय पत्र दिनांक 6/4/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रहनशुदा सम्पत्ति खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 769 रकबा 04 बिस्वा में से कृषि की गई है, अर्थात् उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है। जबकि SRAESI Act 2002 के अध्याप 6 प्रकीर्ण धारा 31 (झ) के अनुसार कृषि भूमि में सृजन किया गया कोई प्रतिभूति हित पर यह कार्यवाही प्रभावी नहीं है। अतः प्राथमिक प्रार्थी चलने योग्य नहीं है। ले खासि किया जाता है। फावली फैसल शुमार डेकर दाखिल दफ्तर कबाई जावे। अ</p> <p style="text-align: right;">जज जजस्ट्रेट (मुजरी)</p>	